अध्याय II
शुल्क छूट/रियायत योजनाओं में अनियमितताएं

भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ एफटीपी प्रतिपादित और कार्यान्वित करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) जवाबदेह है। डीजीएफटी विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत निर्यातकों को स्क्रिप/प्राधिकार जारी करता है और 37 क्षेत्रीय लाइसेंस अधिकारियों (आरएलए) के नेटवर्क के माध्यम से उनकी तदनुरूप बाध्यताओं की निगरानी करता है। सभी 37 आरएलए कम्प्यूटरीकृत है और डीजीएफटी केन्द्रीय सर्वर से जुड़े है।

सीमाशुल्क के अंतर्गत डीजीएफटी द्वारा जारी स्क्रिप/प्राधिकार के अंतर्गत आयातो को विनियमित करने के लिए सीबीईसी द्वारा अधिसूचनाएं जारी की जाती है और कमिश्नरियों के अंतर्गत सीमाशुल्क गृह में संबंधित निर्यातक द्वारा इन स्क्रिपों को पंजीकृत कराया जाना चाहिए। निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं कें अंतर्गत इनपुट तथा पूंजीगत वस्तुओं का आयात सीमाशुल्क से पूर्ण या आंशिक रूप से छूट प्राप्त है। ऐसी छूट प्राप्त वस्तुओं के आयातक को निर्धारित निर्यात शर्तें (ईओ) पूर्ण करने के साथ-साथ विशिष्ट निबंधनों का पालन भी करना पड़ेगा जिसके न करने पर शुल्क की पूर्ण दर आरोपित की जाएगी।

रिकॉर्डों (जुलाई 2014 से फरवरी 2017) की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने निर्यात बाध्यता का पूर्ण न किया जाना डोमेस्टिक टैरिफ एरिया (डीटीए) क्लीरेंस पर कम शुल्क लगाना, न्यूनतम मूल्य वृद्धि की गैर उपलब्धि, ड्राबैक की गैर वसूली जहां निर्यात की आय नहीं प्राप्त हुई है। स्क्रिपों आदि के अनुचित पंजीकरण के कारण शुल्क स्क्रिपों का दुरूपयोग संबंधी 39 नियमित अनियमितताएं पाईं गई। ये लगातार अनियमितताऐं डीजीएफटी तथा सीबीईसी के बीच अतंरण डाटा के कम्प्यूटीकरण के बावजूद भी समन्वय की कमी को दर्शाते हैं। इन 39 मामलों में ₹ 46.50 करोड़ का कुल राजस्व शामिल था, जहाँ ईओ/शर्तें पूर्ण किए बिना शुल्क छूट प्रदान की गई थी। आगामी पैराग्राफों में इनमें से 12 मामलों पर चर्चा की जा रही है, तथा 27 मामलों को जिन्हें विभाग

द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा वसूली की जा चुकी अथवा वसूली कार्यवाही आरंभ की गई का वर्णन **अनुबंध 4** में किया गया है।

2.1 विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 और 4 के अंतर्गत पुरस्कार/ प्रोत्साहन योजनाएं

एफटीपी 2009-14 के अध्याय 3 के अनुसार, डीजीएफटी विभिन्न विदेश व्यापार कार्यालयों (जेडीजीएफटी) के क्षेत्रीय संयुक्त महानिदेशक के माध्यम से स्टेटस होल्डर प्रोत्साहन योजना (एसएचआईएस) शुल्क क्रेडिट स्क्रिप तथा विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) स्क्रिप जारी करती है। डीजीएफटी कार्यालयों द्वारा जारी स्क्रिपों पर छपी स्क्रिप संख्या एक सिस्टम जनरेटेड 10 संख्याओं का विशिष्ट अंक होता है। स्क्रिपों को मुक्त रूप से हस्तांतरित किया जा सकता है और उपलब्ध क्रेडिट की सीमा तक शुल्क का भुगतान किए बिना वस्तुओं के आयात के लिए प्रयुक्त किए जा सकते है। योजनाओं के लिए निर्यात लाभों का निर्धारण लदान पत्र के फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। शुल्क क्रेडिट का उपयोग करने हेतु, स्क्रीप (जेडीजीएफटी कार्यालय द्वारा प्रमाणपत्र के रूप में जारी) का पंजीकरण पंजीकरण पर पोर्ट सीमाशुल्क भवन में संबंधित निर्यातक द्वारा मैन्युअल रूप से कराया जाना चाहिए।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28एएए के अनुसार, जहाँ किसी व्यक्ति को जारी कोई उपकरण मिली-भगत या जानबूझकर दिये गये गलत वक्तव्य या कार्य के उद्देश्य के लिए तथ्यों को दबाकर या विदेश व्यापार (विकास और नियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो और ऐसा उपकरण अधिनियम के प्रावधानों, नियमों या जारी अधिसूचना के अंतर्गत, जिस व्यक्ति को लाइसेंस जारी किया गया है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा प्रयोग किया गया हो, ऐसे उपकरण के प्रयोग से संबंधित शुल्क पर कभी भी किसी प्रकार की छूट या डेबिट नहीं किया जाना चाहिए और उक्त उपकरण जिस व्यक्ति को जारी किया गया है, उससे इस शुल्क की वसूली की जानी चाहिए। जिस व्यक्ति को स्क्रीप जारी किया गया है, उस पर कार्रवाई अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत वास्तविक निर्यातक पर की गई कार्रवाई बिना किसी पूर्वाग्रह के की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने डीजीएफटी डाटा (31 मार्च 2015 तक) तथा सीमा शुल्क विभाग (आईसीईएस) 31 मार्च 2015 तक द्वारा अनुरक्षित लाईसेंस डेबिट विवरणों का विश्लेषण किया जिसमें यह पता चला कि एफटीपी के अध्याय 3 के अंतर्गत जारी लाइसेंस के संबंध में स्क्रीप के पंजीकरण में छलसाधन/निम्नलिखित विधियों के परिनियोजन द्वारा सक्रिय के प्रयोग उदा. अनिवार्य 10 अंको की संख्या के स्थान पर एक/दो/तीन अंकों की स्क्रीपों का अनुचित पंजीकरण, आयातों के लिए अननुमत पंजीकरण लाईसेंस (स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट प्रतिमानों (सियॉन) के बिना), विभिन्न बंदरगाहों पर शुल्क क्रेडिट स्क्रीप का अधिक प्रयोग के द्वारा शुल्क क्रेडिट के अधिक प्रयोग किया जा रहा था।

मामलों का वर्णन निम्नानुसार है:

2017 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 1 (अनु सं. 4.1.1 से 4.1.5) में इस प्रकार के मामले दर्शाये गये हैं।

2.1.1 स्क्रिपों के अनुचित पंजीकरण के कारण शुल्क क्रेडिट स्क्रिपों का अनुचित प्रयोग:

सीमाशुल्क विभाग द्वारा रखे गए लाइसेंस डेबिट विवरण (मार्च 2015 तक) के विश्लेषण से पता चला कि चेन्नई समुद्र बंदरगाह पर 70 मामलों में एक/दो/तीन अंकों के स्क्रिप नंबर पंजीकृत थे और 4.17 करोड़ की राशि के शुल्क छूट के वस्तु आयात करने के लिए प्रयुक्त की गई।

चूंकि ये स्क्रिप संख्या किसी भी जेडीजीएफटी कार्यालय द्वारा जारी नहीं की गई थी जैसाकि डीपीएफटी डम्प डाटा में देखा जा सकता है, यह मामला चेन्नई समुद्र सीमा शुल्क प्राधिकारियों के सम्मुख (मार्च 2016/मार्च 2017) स्क्रिपों की सत्यता जांचने के लिए प्रस्तुत किया गया और यदि आवश्यकता हो तो, उक्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई भी की जाए।

समुचित मान्यता नियंत्रण के न होने के कारण, आईसीईएस प्रणाली में कमियों और सीमाशुल्क को डीजीएफटी द्वारा मैनुअल अंतरण से प्रणाली को निरंतर दुरूपयोग के प्रति असुरक्षित बना दिया है, जिससे नकली लाइसेंस के पंजीकरण हो रहे है।

सहायक आयुक्त (एसी) सीमा शुल्क, चेन्नई ने कहा (अप्रैल 2017) कि आयातों प्रमाणन हेतु स्क्रिप की प्रति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये हैं और मामले में तेज़ी लाने के लिए सभी आयातको के प्रति अलर्ट जारी किये गये हैं।

स्क्रिपों के दुरूपयोग के संबंध में एसी ने आगे कहा कि विभाग के समक्ष ऐसे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गऐ है। तथापि, स्क्रिपों के प्रमाणन के बाद तथ्य सूचित किये जाऐंगे और प्रगति की सूचना दी जाएगी।

सीबीईसी और डीजीएफटी इस मामले की जांच करेंगे और ऐसे मामलों की पुनरावृति से बचने और राजस्व की रक्षा के लिए सुरक्षात्मक कार्रवाई करेंगे।

2.1.2 स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट (सियॉन) के बिना आयातों के लिए लाईसेंस का अनियमित पंजीकरण और 10 अंकों से अधिक स्क्रिप संख्या

आईसीईएस ईडीआई डाटा (मार्च 2015 तक) की नमूना जांच के पता चला कि दिनांक 9 फरवरी 2010 का लाईसेंस संख्या 04101011388 सं. 10 अंकों से ज्यादा था और इस प्रकार एक वैध लाईसेंस नहीं है, चेन्नई समुद्र बंदरगाह पर गलती से पंजीकृत हुआ था और आयातों पर पूर्व निश्चित शुल्क ₹ 29.41 लाख था। लेखापरीक्षा ने डीजीएफटी, ईडीआई लाइसेंस डाटा से सत्यापित किया कि वह लाईसेंस संख्या किसी भी जेडीजीएफटी कार्यालय द्वारा जारी नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने देखा कि लाईसेंस का प्रयोग वस्तुओं के जैसे कि लेक्टॉज़, ऑरेंज जूस और रेड ग्रेप कॉनसंट्रेट के शुल्क मुक्त आयात के लिए प्रयोग किया गया, जो कि अननुमत था क्योंकि एफटीपी खंड II में इन वस्तुओं के लिए कोई सियॉन उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, चेन्नई समुद्र बंदरगाह पर केवल अवैध लाईसेंस ही पंजीकृत नहीं हुऐ, अवैध लाईसेंस पर ₹ 29.41 लाख का शुल्क की त्रुटिक्श छोड़ दिया गया था, जो कि अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत कार्रवाई करने के साथ-साथ वसूली योग्य भी था।

इस मामले की जानकारी (अप्रैल 2016), चैन्नई समुद्र सीमाशुल्क को लाईसेंस की सत्यता जांचने और यदि आवश्यकता हो तो, उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई भी करने के लिए दी गई। सीमा शुल्क विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

2.1.3 विभिन्न बंदरगाहों पर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का अधिक प्रयोग

डीजीएफटी, मुम्बई ने दिनांक 07 जुलाई 2010 को लाईसेंस संख्या 01310582246 शुल्क छूट पास बुक (डीईपीबी) निर्यात के पश्चात (हस्तांतरणीय) के अंतर्गत सीआईएफ मूल्य ₹ 50.45 लाख के साथ पंजीकरण बंदरगाह INLDH6 (लुधियाना) पर जारी किया। सीमाशुल्क डाटा प्रणाली में यह देखा गया कि डीईपीबी स्क्रिप पंजीकृत किया गया और दो बार दुरूप्रयोग किया गया, लाईसेंस संख्या 310582246 दिनांक 07 जुलाई 2010 बंदरगाह/साईट INLDH6 और सं. 785193/09/2010 INNSAI (न्हावा शेवा समुद्र)। परिणमस्वरूप ₹ 50.45 लाख की स्क्रिप का अधिक उपयोग/दुरूपयोग हुआ।

नवम्बर 2016/मार्च 2017 में विभाग को यह इंगित किया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

डीजीएफटी, नई दिल्ली, वाणिज्य विभाग ने विगत वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (2017 की एआर सं. 01) में निर्दिष्ट समान मामलों पर अपने उत्तर (जून 2017) में कहा कि ये मामले राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और सीमा शुल्क प्रणाली को ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिपों के झूठे पंजीकरण के कारण गलत प्रयोग से रोकने के लिए उन्नयन किया जाना चाहिए। डीजीएफटी मार्च 2017 में राजस्व अन्वेषण निदेशालय (डीआरआई) को अध्याय 3 की सभी स्क्रिप का डाटा डंप पहले की उपलब्ध करा चुका है क्योंकि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं।

विगत वर्ष के समान मामलों के संदर्भ में सीवीईसी ने कहा (जुलाई 2017) के आईसीइएस 1.5 लाइसेंस संख्या के रूप में केवल 10 डिजिट संख्या के पंजीकरण को अनुमत करने के लिए उचित रूप से परिवर्तित कर दिया (दिसम्बर 2016) है और यह भी सुनिश्चित किया कि ऐसी 10 डिजिट अंक संख्या विशिष्ट (जुलाई 2017) है। यद्यपि, उत्तर में स्क्रिप के अधिक उपयोग/गलत-उपयोग के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

इसके अतिरिक्त, सीबीइसी ने कहा कि एफटीपी 2015-20 के अंतर्गत सभी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त किये जा रहे हैं इसलिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के किसी मानदंड में जैसे गलत डाटा धोखा धड़ी आदि को मैन्यूल रूप से परिवर्तित नहीं किया जा सकता था।

सीबीइसी डीआरआई द्वारा की गई जांच के लेखापरीक्षा परिणाम और मामले में की गई कार्रवाई की सूचना दी जा सकती है।

इस संदर्भ में धोखाधड़ी आदि रोकने के लिए आईसीइएस 1.5 में किये गये परिवर्तनों के बारे में सीबीइसी उत्तर, के सत्यापन हेतु लेखापरीक्षा के लिए सीबीइसी प्रासंगिक आईसीइएस 1.5 डाटा उपलब्ध कर सकती है।

2.2 अग्रिम प्राधिकरण योजना

2.2.1 निर्यात दायित्व का पूरा न करना

एफटीपी 2004-09 के पैराग्राफ 4.1.3 और कार्यपद्धति विवरण पुस्तिका (एचबीपी) 2004-09 खण्ड I, के पैराग्राफ 4.22 अनुसार एक अग्रिम प्राधिकरण (एए) ड्यूटी फ्री इनपुट के आयात के लिए जारी किये जाते है जिनके प्रति निर्दिष्ट निर्यात दायित्व (इओ) प्राधिकरण जारी करने की तिथि से 36 महीनों के अंदर पूर्ण करना था। इओ पूरा करना या दो महीनों की निर्दिष्ट अवधि के अंदर इओ पूरा करने के पक्ष में प्रासंगिक सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता के मामले में, आरएलए आयातक को आगे का प्राधिकार नहीं देगा और विधिनुसार (एचबीपी के पैराग्राफ 4.24.1 और 4.28) के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई सहित अप्रयुक्त आयातित सामान पर सीमाशुल्क ब्याज सहित की वसूली के लिए प्राधिकार और उपक्रम की शर्तें लागू करेगा।

मैसर्स हिमाद्री केमीकल्स और इंड्रस्ट्रीज लिमिटेड, कोलकाता ने 36 महीनो की अवधि के अंदर अर्थात जुलाई 2014 तक 'कोल पिच' (बाईडंर पिच) के 23300 एमटी निर्यात दायित्व के लिए, 'कोल टर पिच' का 26625 एमटी ड्यूटी फ्री आयात हेतु दो एए (दोनो जुलाई 2011 में) जारी किये गये थे। फर्म ने कुल ₹ 12.48 करोड़ के सीमा शुल्क की छुट का लाभ उठाते हुए अगस्त 2011 तथा जनवरी 2012 के बीच कोलकाता (समुद्र) पोर्ट से 30 परेषणों में शुल्क मुक्त इनपुटों का 16625 एमटी का आयात किया। परन्तु निर्दिष्ट ईओ अवधि की समाप्ति के बाद आठ महीने में ईओ की पूर्ति के समर्थन में कोई भी दस्तावजे प्रस्तुत नही किया गया, जैसा कि मार्च 2015 में लेखापरीक्षा मे नोटिस किया गया था। निर्यात के सबूतों अभाव में, ₹ 18.92 करोड़ की राशि के ब्याज सहित उठाए गए शुल्क मुक्त लाईसेंसी से वसूली योग्य था।

इस पर ध्यान दिया जाने पर (मार्च 2015/मार्च 2017), आरएलए कोलकाता ने एक लाईसेंस में निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाण पत्र (ईओडीसी) प्रस्तुत किया (फरवरी 2017) जिसमें निर्यातक ने इओ को मात्रा वार पूरा किया। निर्धारित मूल्य वृद्धि को प्राप्त करने में कमी के लिए, ₹ 0.09 लाख की संयोजन शुल्क की उगाही की गई थी।

दूसरे लाईसेंस के संदर्भ में आरएलए ने आगे बताया कि ईओ में कमी को शुल्क के भुगतान (₹ 25.43 लाख) तथा ब्याज (₹ 34.19 लाख) को विनियमित किया गया था। हालांकि रिकार्डों के सत्यापन पर लेखापरीक्षा ने गलत परिकलन के कारण ₹ 20.70 लाख की कम वसूली तथा ₹ 14.32 लाख के ब्याज को नोटिस किया। सूचित (अप्रैल 2017) किये जाने पर, आरएलए कोलकाता ने रिपोर्ट किया कि फर्म को (जून 2017) ₹ 20.70 लाख के बकाया शुल्क तथा ₹ 14.32 लाख के ब्याज के विषय में सूचित किया गया है।

हालांकि दोनों प्राधिकरणों में इओ के पूर्ति के प्रति दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण में विलंब के लिए कोई कार्रवाई नही की गई। ऐसी घटना ने केवल वांछित निर्यातों को बढावा देने के लिए योजना की विफलता का संकेत है, बल्कि वे आयुक्तालयों में कमजोर मोनीटरिंग प्रणाली को भी दर्शाता है। जिनके फलस्वरूप ईओ की अवधि की समाप्ति के तीन वर्षो के बाद भी ब्याज सहित देय राजस्व सरकार को प्राप्त नहीं है।

2.3 निर्यात उन्मूख युनिटें (ईओयूज)

2.3.1 डाटीए मंजूरी पर शुल्क कर की कम उगाही

एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 6.8 (ए) के अनुसार रत्न और आभूषणों युनिटों के अलावा युनिटें रियायती शुल्कों के भुगतान पर सकारात्मक निवल विदेशी विनिमय[12] (एनएफई) की पूर्ति के अधीन निर्यातों के बोर्ड (एफओबी) मूल्य पर 50 प्रतिशत तक का निशुल्क माल बेच सकती है। डीटीए बिक्री के अधिकार में, युनिट माल के समान अपने उत्पादों में डीटीए में बेच सकती जो युनिटों से आयातित की जाती है अथवा आयातित की जानी है। युनिटें जिनमें एक से अधिक उत्पाद का विनिर्माण एवं निर्यात होता है , उन शर्तो के अधीन कुल

[12] निवल विदेशी विनिमय निर्यात पर अर्जित आयात तथा विदेशी विनिमय पर विदेशी विनिमय के कुल बहिर्गमन के बीच अंतर है।

डीटीए बिक्री एफओबी के 50 प्रतिशत के कुल अधिकार से अधिक न हो, विशिष्ट उत्पादों के निर्यात का एफओबी मूल्य के 90 प्रतिशत तक डीटीए में इन उत्पादों में से किसी की बिक्री कर सकती है।

मैसर्स पैंटेयर वाटर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, एक 100 प्रतिशत ईओयू, वरना, गोआ को औद्योगिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट/उपकरण (प्रैसर वैसल्स) के लिए संघटकों के विनिर्माण एवं आयात हेतु मई 2003 में अनुमति पत्र (एलओपी) जारी किया गया था। युनिट ने वाटर पम्पस कस्टम टैरिफ शीर्षक (सीटीएच) (84137070), संघटक (सीटीएच 84212190) फिल्टर वाल्वज (सीचीएच 84818030) तथा एचआरओ मेम्ब्रेनस (सीटीएच 84219900) का निर्माण किया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि प्रति वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान, ईओयू ने एफटीपी की पैराग्राफ 6.8 (ए) के तहत निर्धारित शर्तो का उल्लंघन किया था कि कुल डीटीए बिक्री निर्यात के एफएबी मूल्य के 50 प्रतिशत के सभी अधिकार से अधिक नही होनी चाहिए। युनिट ने उपरोक्त अवधि के दौरान ₹ 382.52 करोड़ की एफओबी मूल्य सहित उत्पादों का निर्यात किया था तथा ₹ 326.83 करोड़ की डीटीए बिक्री की गई थी जो निर्यात उत्पादों के निर्धारित 50 प्रतिशत एफओबी मूल्य से अधिक थी। इस प्रकार ₹ 5.56 करोड़ शुल्क की कम उगाही को शामिल करते हुए ₹ 135.58 करोड़ तक डीटीए में अधिक मंजूरी थी।

यह जनवरी 2016/जून 2017 में विभाग को बताया गया था, उसका उत्तर प्रतीक्षित (सितम्बर 2017) है

2.3.2 न्यूनतम मूल्य वृद्धि की गैर-प्राप्ति

एफटीपी 2009-14 के अनुसार, 100 प्रतिशत निर्यात उन्मूख युनिटे (ईओयूज) सेक्टर विशिष्ट प्रावधानों के सिवाए जहाँ पर उच्च मूल्य वृद्धि अपेक्षित होगी, वहा उत्पादन शूरूआत से आरम्भ के पांच वर्षो के ब्लॉक में संचयी रूप से सकारात्मक एनएफई अर्जन करना है। चाय के क्षेत्र में 100 प्रतिशत ईएयू के लिए न्यूनतम मूल्य वृद्धि 50 प्रतिशत (एचबीपी का परिशिष्ट 14-1-सी, खण्ड-।) निर्दिष्ट की गई है। एनएफई में सफलता प्राप्त न करने पर, सकारात्मक एनएफई के संबंध में गैर प्राप्त अंश के रूप में उस भाग को प्राप्त की जाने वाली शुल्क,

दिनांक 31 मार्च 2003 की अधिसूचना सं. 52/2003-सी.शु के संबंध में लागू ब्याज सहित वसूली योग्य है।

विकास आयुक्त, फाल्टा एसईजेड़ के तहत एक 100 प्रतिशत ईएयू, मैसर्स स्विस सिंगापूर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, कोलकाता (पूर्व मैसर्स बीजीएच एक्सिम लिमिटेड) ने बल्क चाय, चाय बैग, तथा चाय पैकेट के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए अनुमति धारित पत्र ₹ 887.37 लाख के मूल्य का आयात 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए तीन ब्लॉक वर्षों के दौरान था जिसके लिए ₹ 1331.06 लाख पर मूल्य 50 प्रतिशत मूल्य वृद्धि प्राप्त करने के लिए निर्यात किया जाना आवश्यक था। निर्धारित निर्यात दायित्व के प्रति, युनिट ने 2014-15 तक ब्लॉक वर्ष की समाप्ति पर ₹ 1192.71 लाख मूल्य के माल का निर्यात किया था। तदानुसार, मूल्य वृद्धि में 10.39 प्रतिशत की कमी थी जिसके लिए ब्याज सहित ₹ 50.14 लाख के लिए आनुपातिक शुल्क की पूर्ति ईएयू से वसूली योग्य थी।

इस पर ध्यान दिये जाने पर (दिसम्बर 2015), सहायक विकास आयुक्त, फाल्टा एसईजेड ने (मार्च 2017) मैसर्स स्विस सिंगापुर प्रा.लि. से प्राप्त उत्तर की एक प्रति अग्रेषित की जिसमे फर्म ने 50 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि की गैर-प्राप्ति को स्वीकृत करते हुए यह कहा कि संविधि के अनुसार 50 प्रतिशत की न्यूनतम मूल्य वृद्धि प्राप्त करना अनिवार्य नही है बल्कि यह केवल "जोर देता" है जिसका अर्थ है कि यह एक अनिवार्य मांग नही है।

फर्म का उत्तर एचबीवी, खण्ड़-I के परिशिष्ट 14-1-सी के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नही है।

विकास आयुक्त, फाल्टा, एसईजेड ने लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार करते हुए फर्म को जारी एक कारण बताओं नोटिस जारी किया (अगस्त 2017) है। आगे प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

2.4 मानित निर्यात त्रुटि/शुल्क त्रुटि योजना

2.4.1 आयातित माल पर मानित निर्यात त्रुटि का अनियमित अनुदान

एफटीपी, 2009-14 के पैराग्राफ 8.1 के अनुसार "मानित निर्यात" उन संव्यवहारों के संदर्भ में है जिसमें माल की पूर्ति ऐसी पूर्तियों के लिए नही की

जाती है जो भारतीय रूपये में या निशुल्क विदेशी विनिमय में प्राप्त हो। आगे, एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 8.2 के अनुसार, माल की पूर्ति मुख्य/उप संविदाकार द्वारा एफटीपी के तहत "मानित निर्यात" के रूप में मानी जाएगी, बशर्ते माल भारत में निर्मित हो।

दिनांक 28 दिसंबर 2011 के डीजीएफटी के परिपत्र सं. 50/2009-20014 (आरई-2010) के अनुसार स्पष्ट किया गया कि पूंजीगत माल के मामले में संविदाकार/उप संविदाकार द्वारा आयातित किया गया है तथा उसी रूप में प्रोजेक्ट प्राधिकारियों को आपूर्ति की गई, ऐसे आयातों पर सीमा शुल्क का भुगतान एफटीपी के पैराग्राफ 8.3 (बी) के तहत मानित निर्यात शुल्क ड्राबैक के रूप में वापिस नही किया जा सकता है।

2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए जेटी डीजीएफटी, अहमदाबाद द्वारा दिए गए अन्तिम रूप में टर्मिनल उत्पाद शुल्क/ड्राबैक के वापसी रिकार्ड की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि मैसर्स एल एण्ड़ टी (संविदाकार) ने युग्मको, एफएलआरएस केबल्स, गैसकेट आदि के रूप में विभिन्न मदों का आयात किया तथा प्रोजेक्ट प्राधिकारियों (चेन्नई मेट्रो रेल लि.) को उसी रूप में आपूर्ति की तथा एफटीपी के पैराग्राफ 8.2(डी) के तहत मानित निर्यात लाभांश अनुमत था। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, मुख्य/उप संविदाकार द्वारा माल की पूर्ति एफटीपी के तहत "मानित निर्यात" के रूप में माना जाएगा, बशर्ते माल का निर्माण भारत में हो। चूंकि विषय-वस्तु माल का भारत में निर्माण नही हुआ था, ₹ 3.62 करोड़ का त्रुटि का अनुदान उचित नही था।

आगे, यह भी नोटिस किया गया था कि प्रोजोक्ट प्राधिकारी ने दिनांक 3 फरवरी 2015 के प्रमाणपत्र (परिशिष्ट 22-सी) के अनुसार केवल ₹12 करोड़ पर आयातित मूल्य अनुमत था। हालांकि संविदाकार ने ₹12.75 करोड़ के मूल्य के माल का निर्यात किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹3.62 करोड़ के किये गए भुगतान की कुल वापसी में शामिल ₹19.32 लाख की वापसी राशि को शामिल करते हुए ₹74.73 लाख का अत्याधिक आयात हुआ।

यह बताए जाने पर (दिसंबर 2016), विभाग ने बिना साक्ष्य प्रस्तुत किए बताया (अप्रैल 2017) कि फर्म ने सामान की उस रूप में आपूर्ति नही की थी

तथा घरेलू प्राप्त या आयात विभिन्न इनपुटों का उपयोग मूल्य वृद्धि के उपरांत किया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नही है क्योकि संविदाकार ने अपने वापसी दावे में यह दर्शाया था कि प्रोजेक्ट के लिए आयातित माल इनपुटस के रूप में आपूर्ति किया गया था। इस प्रकार से, प्रोजेक्टट की आपूर्ति से पूर्व आयातित माल पर आगे कोई प्रक्रिया नही हुई है। इसलिए कोई मूल्य वृद्धि नही की गई थी तथा माल की उस रूप में आपूर्ति की गई थी। विभाग को उनके उसके उत्तर के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध सहित मई 2017 में यह बताया गया था। विभाग की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

2.4.2 निर्यात आय पूरी न प्राप्त करने पर ड्राबैक की गैर वसूली

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर ड्राबैक नियम, 1995 के नियम 16ए के अनुसार, जहाँ ड्राबैक की राशि का भुगतान निर्यातक को किया गया है परन्तु निर्यात आय विदेशी विनिमय प्रबंधन (माल एवं सेवा का निर्यात) विनियम 2000 के विनियम 9 के अनुसार निर्दिष्ट समय में प्राप्त नही की गई, तो भुगतान की गई ड्राबैक राशि की वसूली की जानी चाहिए। सीमा शुल्क अधिकारी को वसूली यानि नोटिस जारी करने, वसूली के लिए आदेश पास करने के लिए कार्रवाई आरम्भ करनी चाहिए, यदि निर्यात आय की प्राप्ति का कोई साक्ष्य 30 दिनों के अन्दर प्रस्तुत नही किया जाता है तथा प्रभावी वसूली ऐसे आदेश के 30 दिनों में की जानी चाहिए।

अर्धवार्षिक निर्यात बकाया विवरणी (एक्सओएस) आरबीआई, कोलकाता से प्राप्त हुई, 30 जून 2015 की संवीक्षा इसके साथ-साथ इंडियन कस्टम ईडीआई सिस्टम (आईसीईएस) पर उपलब्ध ऑनलाईन सूचना से पता चला कि बिक्री प्रक्रियां जनवरी तथा अप्रैल 2014 के बीच निर्यातित 147 परेषणों के संदर्भ में निर्धारित/विस्तृत अवधि के बाद भी विक्रय राशि प्राप्त नही हुई थी जिसके लिए ₹1.84 करोड़ की ड्राबैक सीमाशुल्क कमीशनरी (पोर्ट) कोलकाता द्वारा मंजूर की गई थी। लेखापरीक्षा ने नोटिस किया कि एक्सओएस के अनुसार वसूली की नियत अवधि के बाद 44 दिनों से लेकर 660 दिनों तक की अवधि के लिए वसूली हेतु कोई कार्रवाई नही की गई थी।

इस पर ध्यान दिये जाने पर (जनवरी 2016), विभाग ने सूचित (फरवरी/मार्च 2017) में किया कि ₹ 1.49 करोड़ की राशि वाले 112 शिपिंग बिल्स की ड्राबैक लागू ब्याज के अलावा वसूल की गई थी जिसमें से 25 मामलों में 2.55 लाख की वसूली गई, जबकि ₹ 27.10 लाख के सात मामलों में मांगो की पुष्टि की गई था शेष 80 मामले अधिनिर्णयन थे। 35 मामलों में निर्यातकों द्वारा बैंक वसूली प्रमाणपत्र (बीआरसीज) प्रस्तुत किये गए थे तथा इस प्रकार से इन्हे या तो हटा दिया गया या आगे जांचा नहीं गया।

आगे प्रगति प्रतीक्षित (सितम्बर 2017) है।

2.5 भारत से संवित योजना (एसएफआईएस)

2.5.1 एसएफआईएस शुल्क क्रेडिट का गलत अनुदान

एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 3.12.4 के अनुसार, एचबीपी खण्ड-I के अुनबंध 41 में सुचीबद्ध सेवाओं के सेवा प्रदाता, भारत से संवित योजना (एसएफआईएस) के अंतर्गत मौजुदा वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित मुफ्त विदेशी विनिमय (एफएफई) के 10 प्रतिशत के समान ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के लिए पात्र हैं। एफटीपी के पैराग्राफ 9.53(ii) के अनुसार, 'सेवा प्रदाता' का अर्थ भारत में अन्य किसी देश के सेवा उपभोक्ता से भारत से 'सेवा' की आपूर्ति उपलब्ध कराने वाले किसी व्यक्ति से है। इसलिए, पैराग्राफ 9.5.3(ii) के अनुसार सेवा प्रदाताओं को (एसएफआईएस) शुल्क क्रेडिट स्वीकृत करते हुए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भारत में किसी अन्य देश से सेवा उपभोक्ता को सेवाएं आपूर्त की गई थी।

मैसर्स शास्त्र विश्वविद्यालय, तंजावुर को एचबीपी, खण्ड-I के अनुबंध 41 की क्रम सं. 4सी द्वारा कवर की गई 'उच्चतर शिक्षा सेवा' के लिए (एसएफआईएस) के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी किये गये (सितंबर 2014)। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने इंगित किया कि छात्रों से विश्वविद्यालय द्वारा 'ट्यूशन फीस' के रूप में प्रभार संग्रहित किये गये थे। यद्यपि, ट्यूशन फीस प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची की जांच की गई थी और यह पाया गया कि इसमें से अधिकतर भारतीय थे।

चूंकि विश्वविद्यालय ने पैराग्राफ 9.53 (ii) के रूप में यह सुनिश्चित किये बिना कि क्या सेवा उपभोक्ता भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश से संबंधित है; एसएफआईएस शुल्क क्रेडिट का दावा किया, शुल्क क्रेडिट का अनुदान उचित नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.02 करोड़ के (एसएफआईएस) के अंतर्गत ड्यूटी की गलत स्वीकृति ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

इसे इंगित (जनवरी 2016/जून 2017) किये जाने पर, डीजीएफटी, नई दिल्ली ने कहा (अगस्त 2017) कि फर्म को उनकी पात्रता के सत्यापन हेतु छात्रों के विवरण प्रस्तुत करने और ब्याज सहित ₹ 1.02 करोड़ के पूर्ण ड्यूटी क्रेडिट को जमा करने के लिए कहा गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

2.5.2 लेट कट का गैर/कम कार्यान्वयन

एचबीपी, खण्ड-1, 2009-14 का पैराग्राफ 3.6(बी) में कहा गया है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान एसएफआईएस के अंतर्गत विदेशी विनिमय हेतु ड्यूटी स्क्रिप के अनुदान के लिए एक आवेदन मौजूदा वित्तीय वर्ष हेतु प्रथम आवेदन के साथ लागू आवेदनकर्त्ता के विकल्प पर निर्दिष्ट दस्तावेजों सहित मासिक/त्रैमासिक/अर्ध वार्षिक/वार्षिक आधार पर फाईल किया जाएगा। आवेदन फाईल करने के लिए अंतिम तिथि प्रासंगिक महीने/त्रैमास/अर्ध वर्ष/वार्षिक से 12 महीने की होगी। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन प्रस्तुत करने में विफलता के मामले में, लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को एचबीपी खण्ड-1 के पैराग्राफ 9.3 में निर्दिष्ट लेट कट को लागू करेंगे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि मैसर्स. जॉन इनर्जी लिमिटेड को अर्जित विदेशी विनिमय हेतु ₹ 6.13 करोड़ कुल ड्यूटी क्रेडिट राशि हेतु जेडीजीएफटी अहमदाबाद द्वारा तीन एसएफआईएस लाइसेंस जारी किये (अक्तूबर 2013 से मार्च 2014)। लेखापरीक्षा ने पाया कि लाइसेंस धारक ने निर्धारित तिथि से एक वर्ष से अधिक के बाद आवेदन फाईल किये थे, यद्यपि आरएलए ने दो लाइसेंस धारकों पर कोई लेट कट लागू नहीं किया था जबकि एक मामले में लागू 10 प्रतिशत के स्थान पर पांच प्रतिशत पर लेट कट लागू किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 51.06 लाख के लेट कट का गैर/कम उदग्रहण किया गया जो वसूली योग्य है।

जनवरी 2017 में विभाग को इसके बारे में सूचित किया गया, इनका उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

2.6 इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट इंसेटिवाईजेशन स्कीम (आईईआईएस)

2.6.1 निर्यात विवरण के गैर-सत्यापन के कारण अधिक ड्यूटी क्रेडिट की अनुमति

एफटीपी, 2009-14 के पैराग्राफ 3.14.5 के अनुसार, (आईईआईएस) के अंतर्गत एक निर्यातक विगत वर्ष 2012-13 से वर्ष 2013-14 के दौरान किए गए निर्यातों के एफओबी मूल्य में वृद्धि का दो प्रतिशत दर पर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के लिए पात्र है। इस उद्देश्य के लिए अयोग्य निर्यात एफटीपी के पैराग्राफ 3.14.5 (डी) में सूचीबद्ध थे।

लेखापरीक्षा में, वर्ष 2012-13 के लिए इन निर्यातकों के संबंध में सीमा शुल्क प्राधिकरण से प्राप्त किये गये आईसीइएस निर्यात डाटा के साथ मै. एसएसके एक्सपोर्ट लि.मि. और दो अन्य निर्यातकों द्वारा किये गये दावों के रूप में निर्यातों के विवरण के प्रति सत्यापन से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2013-14 के लिए इंक्रीमेंट एक्सपोर्ट वृद्धि के आंकलन के लिए 62 शिपिंग बिलों के अंतर्गत आंकलित ₹ 17.02 करोड़ का निर्यात मूल्य विगत वर्ष (2012-13) निर्यातकों ने शामिल नहीं किया। इसी प्रकार, 2012-13 से 2013-14 में निर्यात वृद्धि का अधिक कथन हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 31.48 लाख के ड्यूटी क्रेडिट को अधिक स्वीकृति दी गई। अपर महानिदेशक, विदेशी व्यापार कार्यालय, कोलकाता अपने दावों में निर्यातकों द्वारा घोषित किये गये निर्यात की पुष्टि करने में विफल रहा।

इसे इंगित किये जाने पर (मार्च 2016), एडीजीएफटी, कोलकाता ने अधिक ड्यूटी क्रेडिट राशि को वापस करने के लिए कहा (मई/जून 2016)। इसके बाद, विभाग को निर्यातक (मैसर्स एसएसके एक्सपोर्टस लिमिटेड) का उत्तर प्रस्तुत (अगस्त 2016) किया गया जिसमें यह कहा गया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया अघोषित निर्यात अग्रिम प्राधिकरण के अंतर्गत किया गया था।

विभाग का उत्तर तर्क पूर्ण नहीं था क्योंकि अग्रिम प्राधिकरण के अंतर्गत निर्यात आईईआईएस उद्देश्य हेतु निर्यात अयोग्य नहीं था, इस लिए उन्हें निर्यात में वद्धि की गणना के लिए निर्यात में शामिल किया जाना चाहिए।

अन्य निर्यातक (मैसर्स मिलशा एग्रो एक्सपोर्ट प्राईवेट) के मामले में, इसके अतिरिक्त विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2016) कि निर्यातक ने केवल दो निर्यात के मामलो में स्वीकृति दी जो लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये नौ मामलों में से थे। यद्यपि, www.icegate.gov.in, के बाद के सत्यापन पर, शिपिंग बिल आदि के ऑनलाईन फाइलिंग और चैकिंग स्टेटस के लिए सीमाशुल्क वैबसाईट निर्यातकों से संबंधित थी। इसलिए, उत्तर तर्क पूर्ण नहीं था।

यह विभाग को सूचित किया गया (अप्रैल 2017), यद्यपि, उनका उत्तर प्रतिक्षित है (सितम्बर 2017)।

विभाग द्वारा इंगित किये जाने के बाद भी निर्यातक के सभी निर्यात सत्यापित करने में विभाग की विफलता कमजोर निगरानी और संवीक्षा के बारे में लेखापरीक्षा आपत्ति को सुदृढ़ बनाती है।

2.7 भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की योजना (एमइआईएस)

2.7.1 विनिमय दर की गलत स्वीकृति के कारण अधिक ड्यूटी क्रेडिट दिया जाना

भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात योजना एफटीपी 2015-20 में आरंभ की गई योजनाओं में से एक है, योजना (एमइआईएस) सामान/उत्पाद; जो भारत में उत्पादित/निर्मित किया जाता है, विशेषत: वह जिनमें अधिक निर्यात संभावना, रोजगार संभावना और इसके कारण भारत की निर्यात प्रतियोगिता को बढ़ा रहा है, में शामिल आधारभूत अकुशलताएं और संभावित लागत समायोजित करने के लिए है।

एफटीपी 2015-20 के पैराग्राफ 3.04 के अनुसार, अनुलग्नक 3बी सूची के अनुसार अधिसूचित बाजारों से अधिसूचित माल/उत्पाद का निर्यात एमईआईएस के अंतर्गत रखा जाएगा। रिवार्ड की गणना के आधार पर मुफ्त विदेशी विनिमय में वसूले गये निर्यात के एफओबी मूल्य पर या मुफ्त विदेशी विनिमय में शिपिंग बिलों में दिये गये निर्यात के एफओबी मूल्य पर, जो भी कम हो, जब तक कि दूसरे को निर्दिष्ट न किया जाये। एचबीपी 2015-20 के पैराग्राफ 1.15(ए) यह भी दर्शाता है कि वसूला गया विदेशी विनिमय (इलैक्ट्रॉनिक बैंक समाधान प्रमाण पत्र में बैंक द्वारा दिये गये विवरण के अनुसार) ड्यूटी क्रेडिट

की गणना के उद्देश्य के लिए लैट एक्सपोर्ट ऑर्डर (एलइओ)[13] की तिथि तक सीबीइसी द्वारा प्रकाशित मासिक विनिमय दरों का प्रयोग करते हुए भारतीय रूपये में परिवर्तित किया जाएगा।

1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए जेडीएफटी, चेन्नै द्वारा एमईआईएस के अंतर्गत वसूली गई निर्यात प्राप्ति ड्यूटी क्रेडिट की संबंधित स्वीकृति के लिए रूपये के रूप में एफओबी मूल्य की गणना के लिए विनिमय दरों की नमूना जांच से पता चला कि 184 शिपिंग बिलों में, यूरो मुद्रा (2 अक्तूबर 2015 से 15 अक्तूबर 2015 के बीच एलइओ) के लिए विनिमय दर ₹ 72.30 उचित दर के प्रति ₹ 74 पर गलत रूप से स्वीकृति की गई थी जो एफओबी मूल्य की गणना के लिए एलइओ तिथि पर लागू था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.90 लाख की औसत एमईआईएस क्रेडिट की अधिक स्वीकृति दी गई।

जनवरी 2017 में विभाग ने यह इंगित किया था, उनका उत्तर प्रतिक्षित है (सितम्बर 2017)।

[13] लैट एक्सपोर्ट ऑर्डर निर्यात शिपमैंट के अंतर्गत भारत से बाहर माल ले जाने की अंतिम निर्यात वैधानिक प्रक्रिया है।